<u>कयर बोर्ड, कोच्ची – 682016</u>

कुशल उन्नयन और गुणता सुधार योजना के कार्यान्वियन केलिए प्रचालन मार्गदर्शन

(एमएसएमई मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार संशोधित
दि. 31 दिसंबर, 2009 का फाइल सं. 5 (9)/2008–कयर/728)

1. भूमिका

1.1 कयर उद्योग तीव्र श्रम युक्त और निर्यात संकेन्द्रित उद्योग है जिसमें 6.5 लाख से अधिक लोग नियोजित है । कयर उद्योग में होनेवाले विकेन्द्रित प्रचालन कताई और बुनाई के क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में कई समस्याओं के कारण हो गए है खासकर अंतिम उत्पादों की वांछित गुणता का स्तर सुनिश्चित करने में कठिनाई होती है । गुणता में कमी उद्योग के समग्र विकास के संयुक्त प्रयत्न में अंततः हानिकारक हो सकती है । इससे उसकी उत्तरजीवित में खासकर वह परंपरागत उत्पाद होने के कारण वर्तमान सस्ते सिंथैटिक प्रतिस्थानिक पदार्थों, भौगोलीकरण और उदारीकरण से होनेवाली अभूतपूर्व प्रतियोगिता के संदर्भ में हानि हो सकती है । इसलिए उद्योग के समग्र विकास केलिए अधिक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है कुशल उन्नयन, जिससे अपरंपरागत क्षेत्रों में उद्योग के फैलने की गति को तीव्र कर सकेगा ।

1.2 कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति का विकास कयर बोर्ड के प्रमुख कार्यकलापों में उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है । कयर उत्पादों की माँग को बनाए रखने केलिए कतिपय उत्पादों की गुणता में लगातार सुधार अनिवार्य है और संसार में कयर उत्पादों की संभावना में वृद्धि केलिए भी यह अनिवार्य है, जो अधिकाधिक गुणता सचेत हो रहा है । उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति केलिए बोर्ड गुणता सुधार कैंप और उद्यम विकास कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है ।

1.3 कयर उद्योग में नियोजित कामगारों में 80% महिलाएँ हैं, खासकर उत्पाद–पूर्व क्षेत्र में । 1994 से महिला कयर योजना (एमसीवाई) कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित पहली महिला केन्द्रित स्वनियोजन योजना है । योजना में प्रशिक्षित महिला कारीगरों को राट की खरीद की लागत का 75% इमदाद का प्रावधान परिलक्षित करता है ।

1.4 महिला कयर योजना समेत प्रशिक्षण और गुणता सुधार कार्यक्रम चालू केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का भाग है और 10 से 11वीं योजना को उसकी निरंतरता केलिए स्वतंत्र अभिकरणों के ज़रिए उसका मूल्य–निर्धारण भी किया गया है । मूल्य–निर्धारण में दी गई सिफारिशों और कुशल जन–शक्ति की बढती माँग को ध्यान में रखते हए वर्तमान योजना के कुछ पैरामीटर में सुधार किए गए हैं । आगे आनेवाले पैराओं में 'कुशल उन्नयन के गुणता सुधार योजना' की विशद जानकारी, जो 11वीं योजना के बाकी वर्षों के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा, दी गई है ।

2. योजना

2.1 'कुशल उन्नयन और गुणता सुधार' योजना में तीन भिन्न घटक अंतर्निहित है अर्थात् (क) कुशल उन्नयन (ख) गुणता सुधार और (ग) महिला कयर योजना (एमसीवाई) । योजना के उद्देश्य है –

- पर्यवेक्षक/अनुदेशक/कारीगर की श्रेणी के कार्मिकों को प्रशिक्षित करना और कयर उद्योग के विकास केलिए कुशल जनशक्ति की अपेक्षाओं की पूर्ति करना ।
- कयर कामगारों के कुशलता विकास के द्वारा अपरंपरागत क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी अंतरण में सहायता करना ।
- महिला कयर योजना द्वारा महिला शाक्तीकरण में सहायता देना और कुशल विकास प्रशिक्षण देने के बाद कयर धागा कताई उपस्करों को इमदादी दरों पर प्रदान करने का प्रावधान करना ।
- कयर रेशा उत्पादित क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को स्वनियोजन प्रदान करना और उत्पादकता तथा गुणता सुधार द्वारा बेहतरआमदनी मिलने में सहायता देना । बहत्तर काम वातावरण प्रदान करना और कताई के परंपरागत तरीके में अंतर्निहित नीरस काम की परिसमाप्ति करना ।
- उद्यम कार्य विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत परंपरागत और अपंरपरागत क्षेत्रों के नए उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित करना ताकि वे कयर उद्योग और व्यापार में प्रवेश करें और तद्वारा वर्तमान और नए क्षेत्रों में उद्योग का विकास तेज़ी से लाएँ ।
- निम्नतम स्तर के कामगारों के बीच गुणता चेतना उत्पन्न करने का लक्ष्य रखना और उनको मानक गुणतावाले रेशे, धागे और उत्पादों का उत्पादन केलिए समुचित तरीकों की शिक्षा देना ।

- नारियल की खेती करनेवालों, उद्यमियों आदि के बीच कयर आधारित एककों की स्थापना करने की चेतना का सृजन करना और बहत्तर उत्पादकता गुणता और आमदनी में वृद्धि केलिए भी वर्तमान एककों का आधुनिकीकरण करने में प्रोत्साहित करना ।
- नारियल की खेती करनेवाले राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन के सृजन में योगदान करना

3. नोडल अभिकरण

3.1 कयर बोर्ड, कोच्ची नोडल अभिकरण है । योजना का कार्यान्वयन बोर्ड के क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किया जाएगा । योजना का अनुश्रवण कयर बोर्ड द्वारा किया जाएगा और फीड–बैक (मासिक /त्रैमासिक/अर्धवार्षिक और वार्षिक रिपोर्ट) बोर्ड के मुख्यालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी । आवश्यकता पडने पर केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तकनीकी हस्तक्षेप किया जाएगा । कयर उद्योग के विकास और संवर्धन में लगी ऐसी संस्थाएँ भी तकनीकी हस्तक्षेप करेंगी ।

4. योजना कार्यान्वयन

4.1 कुशल उन्नयन

4.1.1 कयर उद्योग एक परंपरागत उद्योग है जिसमें 6.5 लाख कामगार नियोजित है, उनमें से 80% महिलाएँ हैं । अपरंपरागत क्षेत्रों को नारियल की खेती के विकास के कारण गत कुछ वर्षों के दौरान नारियल छिल्कों की उपलब्धता बडी मात्रा में बढ गई है । चूँकि नारियल छिल्कों का वर्धित उत्पादन आमदनी अर्जन और ग्रामीण कार्यबल की आर्थिक वृद्धि में इस्तेमाल किया जा सकेगा, अपरंपरागत क्षेत्रों में कयर उद्योग का संवर्धन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है । नारियल की खेती के परंपरागत और अपरंपरागत क्षेत्रों में उद्योग में अपेक्षित कुशल कामगारों की नई पीढी को प्रशिक्षित करने केलिए ‘कुशल उन्नयन’ कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया है ।

4.1.2 कयर बोर्ड कयर उद्योग में लगे कारीगरों और कामगारों को कयर प्रसंस्करण में अपने प्रशिक्षण केन्द्रों के ज़रिए यानि राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण और डिज़ाइन केन्द्र (एनसीटी व डीसी) कलवूर, आलप्पुषा और अनुसंधान व विस्तार केन्द्र, तेंकाशी, तमिलनाडु के ज़रिए प्रशिक्षण देता रहेगा । कयर कामगारों की सुविधानुसार अनेक क्षेत्र प्रशिक्षण केन्द्रों में बोर्ड अपने प्रशिक्षण कार्यकलाप आयोजित करेंगे । क्षेत्र

प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन कयर कार्यकलापों में लगे गैर-सरकारी कार्यालयों/सहकारी समितियों की सहायता से किया जाएगा ।

4.1.3 व्यापार और उद्योग और सरकार प्रायोजित अभिकरणों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर केवल विशिष्ट प्रयोजनों केलिए कयर बोर्ड के निजी प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों केलिए वृत्तिका का प्रावधान नहीं है । अन्य सभी क्षेत्र-स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृत्तिका का प्रावधान है । कयर बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विशद विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

4.1.4 कुशल उन्नयन कार्यक्रमों केलिए प्रति प्रशिक्षणार्थी वृत्तिका 750 रु. प्रति मास तक सीमित किया जाएगा । प्रशिक्षक का मानदेय 5,000 रु. प्रति मास तक सीमित किया जाएगा । कच्चे माल, बिजली प्रभार, अन्य आकस्मिक व्यय, आदि बिल, वाउचर, व्यय का विवरण और प्रायोजक प्राधिकारी से व्यय का प्रस्तुत करने पर प्रचालन लागत की वसूली केलिए प्रशिक्षण प्रायोजक अभिकरण को 250 रु. प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसका सत्यापन भुगतान केलिए क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा । कच्चे माल, प्रदर्शन की लागत, यात्रा और परिवहन लागत आदि प्रशिक्षण चलाने केलिए विविध व्यय 20 लाख रु. प्रति वर्ष तक सीमित किया जाएगा । कयर बोर्ड द्वारा प्रायोजक अभिकरणों के ज़रिए आयोजित किए जानेवाले क्षेत्रीय स्तर के प्रशिक्षण केन्द्रों में क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थिति रजिस्टरों का सत्यापन करेंगे और प्रशिक्षक और प्रायोजक अभिकरण द्वारा प्रमाणित उनकी उपस्थिति के आधार पर वृत्तिका का आकलन किया जाएगा । संबंधित रिकार्डों के सत्यापन के बाद क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा वृत्तिका की रकम वितरित की जाएगी । वे प्रायोजन करनेवाले अभिकरण और प्रशिक्षक द्वारा प्रमाणित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित परिचय वृत्तिका रकम के भुगतान केलिए प्राप्त कर सकेंगे ।

4.1.5 एनसीटी व डीसी में आंतरिक प्रशिक्षण केलिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन विज्ञापन प्रकाशन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के ज़रिए आवेदन आमंत्रित करके और कयर उत्पादन करनेवाले राज्यों के प्राधिकारियों से सिफारिश के अनुसार किया जाएगा । प्रशिक्षणार्थियों के चयन केलिए बोर्ड की कार्यालयीन समिति का गठन किया जाएगा । नियमित पाठ्यक्रमों केलिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन लिखित और प्रयोगशाला परीक्षाओं का आयोजन करने के बाद किया जाएगा । अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में कयर उद्योग पंजीकरण नियमावली, 2008 के अंतर्गत कयर बोर्ड के पंजीकृत कयर एककों द्वारा अथवा राज्य सरकार/गैर-सरकारी कार्यालय/शिक्षा-संस्थाएँ/अनुसंधान संगठन आदि द्वारा

उम्मीदवारों को प्रायोजित किया जा सकता है । क्षेत्रीय विस्तारण केन्द्र पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों का चयन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यापार संघ, एकक मालिक, उद्योग विभाग, गैर-सरकारी कार्यालय, सहकारी समितियाँ आदि द्वारा उम्मीदवारों के प्रायोजन से किया जाएगा ।

4.1.6 क्षेत्र स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में, प्रशिक्षण प्रायोजक अभिकरण का चयन बोर्ड के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी में निहित है । किसी प्राधिकरण को नियुक्त करने से पहले, निर्धारित प्रपत्र पर (**अनुबंध-II**) प्रायोजक अभिकरण से एक प्रतिज्ञा ली जाएगी । आवेदन की उचित संवीक्षा के बाद, मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने केलिए प्रायोजक अभिकरण और क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी के बीच एक समझौता किया जाएगा । प्रायोजक अभिकरण उम्मीदवारों का नाम और पूरा पता हाल ही के पारपत्र आकार के फोटोग्राफ (दो प्रतियाँ) और आईडी प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेगा (चुनाव आई डी कार्ड/रेशन कार्ड/किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति) । सभी मामलों में अनिवार्यत: चुनाव आई डी कार्ड पर बल देना चाहिए और आई डी के अन्य प्रमाण केवल विशेष मामलों में ही स्वीकार करें । एक फोटोग्राफ प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उम्मीदवार को जारी किए जानेवाले प्रमाणपत्र पर लगा देना चाहिए और दूसरा संदर्भ केलिए कार्यालय में रखा जाएगा । प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षा चलाने के बाद क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।

4.1.7 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कयर बोर्ड और उसके अनुसंधान संस्थानों के तकनीकी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाएगा । कुछ मामलों में आवश्यकता के अनुसार बाहर से भी व्यक्तियों को ले सकता है । सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षाएँ राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण और डिज़ाइन केन्द्र के संकायों द्वारा आयोजित और मूल्यांकित किया जाएगा और निदेशक, आरडीटीई के अनुमोदन पर परिणाम प्रकाशित किया जाएगा ।

4.1.8 प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ मानदेय देकर विशिष्ट अध्ययनपप कराने केलिए बाहरी संकायों को ले सकते हैं । राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण व डिज़ाइन केन्द्र, कलवूर, आलप्पुषा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक, आरडीटीई के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में होगा और क्षेत्रीय विस्तारण केन्द्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम संबद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन होगा । प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और महिला कयर योजना के मामलों में

व्यावहारिक परीक्षा क्षेत्रीय विस्तारण केन्द्रों के तकनीकी स्टाफ द्वारा संचालित किया जाएगा और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों की सहमति से प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

4.1.9 विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी और निदेशक, आरडीटीई से सलाह करके और सक्षम प्राधिकारी की सहमति से संचालित किया जाएगा । विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों केलिए पाठ्यक्रम निदेशक, आरडीटीई से सलाह करके और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया जाएगा । प्रशिक्षकों की सूची में, जिन्होंने प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है, क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षकों का चयन किया जाएगा ।

4.1.10 **प्रशिक्षण केलिए आधारिक संरचना :** कयर क्षेत्र में कुशल उन्नयन के लक्ष्यों की प्राप्ति केलिए कयर बोर्ड द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा राज्य विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों आदि के सहयोग से निदर्शन एवं प्रशिक्षण की स्थापना/शक्तीकरण जैसे प्रशिक्षण की आधारिक संरचना का समुचित सृजन किया जाएगा । इसमें भिगोने की टंकी की तैयारी, मशीनरी और उपस्करों की खरीद आदि भी सम्मिलित हैं । इस घटक पर व्यय प्रचालन मार्गदर्शी सिद्धांत के पैरा 5 में विवरण दिए अनुसार घटक केलिए वार्षिक बजट आबंटन तक सीमित किया जाएगा ।

4.2 गुणता सुधार

4.2.1 कयर उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों की गुणता सुधार केलिए बोर्ड द्वारा गुणता सुधार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है । कयर उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों की माँग को जारी रखने केलिए देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के उत्पादों की गुणता पर प्रमुखत: निर्भर है । परंपरागत निर्यात केन्द्रित क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में अर्थात् स्वचालित कयर धागा कताई क्षेत्र, कयर पिथ प्रसंस्करण क्षेत्र, उत्पाद विनिर्माण क्षेत्र और देश के प्रमुख कयर उत्पादन करनेवाले सभी क्षेत्रों में अन्य कयर प्रसंस्करण एककों में नियमित आधार पर कयर बोर्ड द्वारा गुणता सुधार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है । 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठी, क्षेत्रीय कार्यशालाएँ, जागरण कार्यक्रम, गुणता सुधार कैंप आदि आयोजित किए जायेंगे । व्यापार और उद्योग के साथ सलाह करके बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी का निदर्शन और अंतरण, नए बाज़ार क्षेत्र, मार्ग अर्थात् उत्पाद विकास, उत्पाद विविधीकरण, नवीन उपभोक्ता क्षेत्र आदि पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा । संगोष्ठियाँ संबंधित राज्य सरकार, कयर व्यापार, शीर्ष आदि के साथ सलाह करके आयोजित की जाएगी ।

संगोष्ठियों में संबंधित राज्यों के कयर विकास कार्यकलापों से संबंधित विषयों को लिया जाएगा । राष्ट्रीय संगोष्ठी राज्य स्तर के कयर व्यापार संघों और संबंधित राज्य सरकारों से सलाह करके किए जायेंगे और इसमें प्रदर्शनी, नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, नई प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष निदर्शन, कयर के नए उपयोग और कयर उत्पाद आदि भी आयोजित किए जायेंगे ।

4.2.2.उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

4.2.3 ईडीपी का आयोजन करने केलिए विशद विवरण नीचे दिए गए हैं :-

(क) लक्ष्य आधारित कार्यक्रमों के अनुसार ईडीपियों का आयोजन क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा । बोर्ड के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी किसी पेशेवर संकाय का चयन करेंगे जिनको ईडीपी का आयोजन करने केलिए कयर कार्यकलापों के क्षेत्र में विशेष जानकारी है । ईडीपी का आयोजन करने केलिए क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी अभिकरण के साथ एक समझौता करेंगे ।

(ख) अभिकरण क्षेत्रीय स्तर के प्रेस विज्ञापन द्वारा संभाव्य उद्यतकर्ताओं का आमंत्रण करेंगे । अभिकरण क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों से सलाह करके आवश्यक पाठ्यसामग्री तैयार करेगा । अभिकरण कयर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तकनीकी सत्रों का आयोजन करने केलिए संकाय को बाहर से बुलायेंगे ।

(ग) ईडीपी के अंत में निकटस्थ कयर प्रसंस्करण केन्द्र को एक क्षेत्र संदर्शन का भी आयोजन किया जाएगा । यात्रा व्यय का 50% सहायता के रूप में दिया जाएगा ।

(घ) बस/रेलगाडी की दूसरी श्रेणी तक यह लागू है और बाकी अभिकरण भागीदारों से अथवा अन्य स्रोतों से एकत्र करेगा ।

(ङ) ईडीपी की अवधि 3 दिन होगी जिसमें निम्नलिखित विषयों पर सत्र होंगे :

1. उद्यमकर्ता उत्तेजना
2. उद्योग की संस्थापना
3. कयर आधारित उद्योग

4. वित्त संचयन और वित्त प्रबंधन
5. देशी बाज़ार की अपेक्षाएँ
6. विक्रयकला
7. औद्योगिक नियमावली और विनियम
8. कयर में संघीय रीति और क्लस्टर नेटवर्क
9. परियोजना तैयारी और लागत विश्लेषण
10. कयर उद्योग में शून्य क्षय की धारणा
11. निर्यात बाज़ार विश्लेषण
12. व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास जगाने का अनुभव
13. कयर बोर्ड, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की अवबोध अर्थात् पीएमईजीपी, आरजीयूएमवाई, रिमोट, डीपीआई आदि ।

(च) प्रत्येक ईडीपी का आयोजन करने केलिए व्यय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 60,000 रु. तक सीमित किया जाएगा ।

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	स्थानीय दैनिक अखबारों द्वारा ईडीपी केलिए भागीदारों को आमंत्रित करनेवाला प्रेस विज्ञापन	8,000
2.	100 रु. प्रति व्यक्ति की दर पर भोजन, चाय और जलपान (3 दिन केलिए 50 व्यक्तियों केलिए)	15,000
3.	3 दिन केलिए हॉल का किराया	6,000
4.	संदर्भ सामग्री की तैयारी, प्रिंटिंग प्रभार और लेखन सामग्री आदि	10,000
5.	संकाय केलिए व्यय	8,000
6.	क्षेत्र संदर्शन केलिए व्यय	10,000
7.	विविध	3,000
	कुल	**60,000**

(छ) ईडीपी के आयोजन केलिए विचारार्थ विषय **अनुबंध-III** में दिए गए हैं ।

4.2.4 गुणता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी)

4.2.4.1 क्यूआईपी के आयोजन पर विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है :

(क) क्यूआईपी का आयोजन कयर बोर्ड के क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जहाँ उद्योग ने जड पकडी है ।

(ख) कार्यक्रम में तकनीकी सत्र, व्यावहारिक प्रदर्शन, कार्यशाला संगोष्ठी आदि सम्मिलित होंगे । कार्यक्रम की अवधि तीन दिन होगी ।

(ग) कामगारों को क्यूआईपी में उपस्थित होनेवाले दिनों में अपनी मज़दूरी की हानि केलिए 50 रु. की समान दर पर मानदेय दिया जाएगा ।

(घ) प्रत्येक क्यूआईपी के आयोजन का व्यय 20,000 रु. तक सीमित किया जाएगा ।

4.2.5 **<u>अनावरण पर्यटन और जागरण कार्यक्रम :</u>** कयर प्रसंस्करण केन्द्रों के कारीगरों और भावी के उद्यमकर्ता के हित केलिए अनावरण पर्यटन आयोजित किया जाएगा । मूल्यवर्धित उत्पादन में लगे अन्य कयर उत्पादन केन्द्र और कयर उद्योग में लगे अन्य एकक संदर्शन केलिए चुन लिए जायेंगे । उद्यमकर्ताओं के मामले में रेलगाडी की दूसरी श्रेणी की वास्तविक यात्रा लागत के 50% के अद्यधीन और कयर प्रसंस्करण कार्यकलापों में लगे कारीगरों के मामले में, जो सहकारी समिति/एसएचजी/गैर-सरकारी कार्यालय के अंतर्गत आते हैं और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, वास्तविक यात्रा व्यय का 90%/रेलगाडी की दूसरी श्रेणी के किराए के अद्यधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी । अनावरण पर्यटन की अवधि यात्रा समय के अतिरिक्त 5 कार्य-दिवस होंगी । अनावरण पर्यटन आयोजित करने केलिए व्यय आने और जाने के बस/रेलगाडी किराया, सेवा कर, पडोसी राज्यों को प्रवेश करने की अनुमति, टोल कर आदि समेत 75,000 रु. तक सीमित किया जाएगा ।

कयर बोर्ड के पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों का परिचय देने केलिए आम जनता केलिए एक जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा । जागरण कार्यक्रम आयोजित करने केलिए व्यय 26,000 रु. तक सीमित किया जाएगा ।

4.2.6 राष्ट्रीय स्तर के एक संगोष्ठी के आयोजन केलिए व्यय निम्न विवरणों के अनुसार 2 लाख रु. तक सीमित किया जाएगा :-

क्र.सं.	घटक	लगभग वित्तीय सीमा (रु.)
1.	आमंत्रणों का प्रकाशन, बैनर, फोटो, लेखन–सामग्री आदि	12,000
2.	हॉल, मेज़, कुर्सी, पी ए सिस्टम आदि का किराया	25,000
3.	स्थानीय अतिथि सत्कार और बाहर के वक्ताओं को मानदेय	25,000
4.	200 व्यक्तियों केलिए भोजन और चाय और जलपान	35,000
5.	तकनीकी निबंधों की प्रतियाँ, कयर बोर्ड/केवीआईसी/एमएसएमई द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ समेत सेमिनार किट	25,000
6.	प्रमुख दैनिकियों के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति	10,000
7.	प्रचार और प्रेस सम्मेलन	15,0000
8.	प्रौद्योगिकी अंतरण केलिए निदर्शन (प्रौद्यो – बाज़ार)	40,000
9.	संगोष्ठी के आयोजन केलिए व्यवसायिक प्रभार	10,000
10.	स्थानीय परिवहन	3,000

4.3 महिला कयर योजना

4.3.1 यह योजना कयर रेशा उत्पादन करनेवाले क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वनियोजन प्रदान करने केलिए इरादा करता है । गत दो दशकों के दौरान भारत में कयर रेशे का उत्पादन बहुत अधिक बए गया है । ग्रामीण घरों में यंत्रचालित राटों पर कयर रेशों को कयर धागे में परिवर्तन बडे पैमाने पर नियोजन के अवसर प्रदान करते हैं । इससे कयर रेशे की उत्पादकता और गुणता में सुधार बहत्तर काम करने की सुविधाएँ और उच्चतर आय आदि आगे चलकर ग्रामीण महिला कारीगरों के जीवन स्तर को सुधरता है । योजना प्रशिक्षित महिला कारीगरों को कयर धागे की कताई केलिए यंत्रीकृत राटों/मोटरचालित परंपरागत राटों का क्रमशः 40:60 अनुपात में वितरण परिलक्षित करती है । प्रत्येक परिवार में एक घर में कम से कम एक कारीगर योजना के अंतर्गत सहायता केलिए पात्र होंगे ।

4.3.2 कयर बोर्ड मोटरचालित राट/मोटरचालित परंपरागत राटों की लागत का 75% एक बार की सहायिकी के रूप में मोटरचालित राट केलिए 7500 रु. और मोटरचालित परंपरागत राट केलिए 3200 रु. की अधिकतम रकम के अद्यधीन प्रदान करेगा बशर्ते कि बाकी 25% दावेदार स्वैच्छिक

संगठनों/वित्तीय संस्थाओं/निजी स्रोतों से लेंगे । योजना के अंतर्गत सहायिकी का उपयोग करके खरीदे गए मोटरचालित राट/मोटरचालित परंपरागत राट बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार हों ।

4.3.3 महिला कयर योजना (एमसीवाई) व्यापार केलिए कयर बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा एक अलग खाता खोला जाएगा । हितैषी के चयन के अनुसार पंजीकृत मशीनरी विनिर्माता से मोटरचालित राटों/मोटरचालित परंपरागत राटों की पूर्ति केलिए बीजक के साथ हितैषी से 25% हितैषी योगदान एकत्र किया जाएगा और हितैषी योगदान एमसीवाई खाते में जमा किया जाएगा । क्षेत्रीय अधिकारी बीजक अपनी सिफारिश के साथ हितैषी योगदान की प्राप्ति बोर्ड के मुख्यालय को अग्रेषित करेगा ताकि मोटरचालित राट/मोटरचालित परंपरागत राट की प्राप्ति के लिए पात्रतानुसार 75% सहायिकी की मंजूरी मिल जाएगी । मुख्यालय संवीक्षा और सत्यापन के बाद सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करेगा और संबंधित क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय को 75% सहायिकी प्रदान करेगा । क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मोटरचालित/मोटरचालित परंपरागत राटों का निरीक्षण पूरा करने के बाद और हितैषी से निष्पादन गैरंटी और रसीद प्राप्त करने के बाद मशीनरी विनिर्माता हितैषी की अवस्थिति को राटों की पूर्ति करेगा । हितैषी को राट की पूर्ति के प्रमाण संबंधी दस्तावेज़ समेत पूर्तिकार से निष्पादन गैरंटी, बिल, प्राप्ति आदि प्राप्त करने पर क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी हितैषी को पूर्ति किए गए राट की लागत पूर्तिकार को प्रदान करेगा । हितैषियों को राट की पूर्ति बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दो महीनों की अवधि में सुनिश्चित की जाएगी ।

4.3.4 राज्य सरकार प्रायोजित प्राधिकरण, कयर औद्योगिक सहकारी समितियों, कयर कामगार कल्याण निधि बोर्ड, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रक आदि द्वारा महिला कयर योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति में उपस्कर की लागत के 75% की अधिकतम रकम तक सीमित अनुदान की राशि, जो हितैषी द्वारा चयन किया जाता है । उस उपक्रम को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संगठन के नाम पारित की जाएगी और इसकी सूचना संबंधित राज्य सरकार को दी जाएगी । संगठन के नाम पारित सहायिकी रकम केलिए उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वैध प्रमाणन के साथ बोर्ड द्वारा हितैषियों की सूची के साथ प्राप्त किया जाएगा । इसके अलावा अन्य दस्तावेज़ अर्थात् उपस्कर का निष्पादन प्रमाणपत्र, पंजीकृत मशीनरी विनिर्माता से बीजक आदि भी प्राप्त करेगा ।

4.3.5 योजना के अंतर्गत मंजूर सहायिकी हितैषी से वसूल किया जा सकता है ।

(क) जहाँ योजना के अंतर्गत सहायता गलत सूचना प्रस्तुत करके अथवा अन्यथा कथन द्वारा प्राप्त हो गई है और

(ख) जहाँ एकक उत्पादन शुरू करने की तिथि से 5 वर्षों के भीतर उत्पादन बंद करता है, ऐसे मामलों को छोडकर छ: महीनों तक विस्तारित होनेवाली लघु अवधि केलिए एकक उत्पादन बंद करता है वह भी हितैषी के नियंत्रण के परे के कारणों से जैसे कच्चे माल, विद्युत आदि की कमी ।

4.3.6 योजना का नियमित अनुश्रवण संयुक्त निदेशक (योजना)/वरिष्ठ लेखाधिकारी, कयर बोर्ड द्वारा किया जाएगा और एमएसएमई मंत्रालय को रिपोर्ट की जाएगी ।

5. विविध मदों पर जैसे कि भोजन की व्यवस्था आदि केलिए खरीद और मितव्ययित अनुदेश और मानक केलिए कयर बोर्ड जी एफ आर प्रावधानों का अनुसरण करेगा जो व्यय विभाग द्वारा जारी किया गया है ।

<u>अनुबंध – I</u>

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	नियमित या अल्पकालीन	अवधि	दी जानेवाली वृत्तिका अथवा नहीं
क) नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम				
1.	उच्च प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	नियमित	12 महीने	जी हाँ
2.	कारीगर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	नियमित	6 महीने	जी हाँ
ख 1) इन्क्युबेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम				
3.	कयर कार्पेटों का निर्माण	अल्पकालीन	1 महीने	जी नहीं
4.	करघा मैटों का निर्माण	अल्पकालीन	2 महीने	जी नहीं
5.	ब्लीचिंग, रंगाई और शेड मैचिंग	अल्पकालीन	1 महीने	जी नहीं
6.	कयर मैटिंग्सों का निर्माण	अल्पकालीन	1 महीने	जी नहीं
7.	कयर कंपोसिटों का निर्माण	अल्पकालीन	2 महीने	जी नहीं
8.	निर्यात कार्यविधि	अल्पकालीन	15 दिन	जी नहीं
9.	स्वचालित कताई मशीन पर कताई	अल्पकालीन	1 महीने	जी नहीं
10.	रबड समर्थित कयर उत्पादों का निर्माण	अल्पकालीन	2 महीने	जी नहीं
ख 2) वृत्तिका सहित इन्क्युबेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम				
11.	रेशा उपचार प्रक्रियाएँ	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
12.	कयर व कयर उत्पादों का परीक्षण	अल्पकालीन	1 महीने	जी हाँ
13.	कयर मशीनरी का अनुश्रवण	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
14.	महिला कयर योजना कार्यक्रम के अंतर्गत मोटरचालित राट/मोटरचालित परंपरागत राट पर कताई	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
15.	फ्रेम मैटों का निर्माण	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
16.	कयर दस्तकारी का निर्माण	अल्पकालीन	3 महीने	जी हाँ
17.	पिथ कंपोस्टिंग व ब्लॉक निर्माण	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ

18.	कयर ब्रश और बागवानी चीज़ों का निर्माण	अल्पकालीन	1 महीने	जी हाँ
19.	अपरंपरागत उत्पादों और उसके अनुप्रयोगों का निर्माण	अल्पकालीन	3 महीने	जी हाँ
20.	कयर प्रसंस्करण में बहि:स्राव उपचार	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
ग) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम				
21.	कयर दस्तकारी में प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
22.	कयर मशीनरियों के अनुश्रवण में प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
23.	प्रशिक्षण पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	अल्पकालीन	3 महीने	जी हाँ
घ) अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम				
24.	अभिमुखीकरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	अल्पकालीन	15 दिन	जी नहीं
25.	अनुसमर्थन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	अल्पकालीन	15 दिन	जी नहीं

नियमित कार्यक्रमों के अलावा, निम्नलिखित कुशल विकास कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है ।

क) कयर उत्पादन करनेवाले राज्यों के क्षमतायुक्त क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों/सहकारी समितियों/गैर-सरकारी कार्यालयों/एसएचपी के सहयोग से क्षेत्र प्रशिक्षण एककों में कयर मैट/मैटिंग आदि की कताई/बुनाई में प्रशिक्षण ।

ख) कयर सहकारी समितियों के कार्यकर्ताओं/दस्तकारी अध्यापकों/राज्य सरकार के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण ।

ग) जेलों के बंदियों और जनजाति क्षेत्रों के जनजातियों केलिए कयर निर्माण में समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

घ) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान के सहयोग से नए डिज़ाइनों की तैयारी, कयर के प्रकार और विविधीकृत उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

2. तमिलनाडु के तंजावूर, आन्ध्र प्रदेश के राजमुंद्री और उडीसा के भुवनेश्वर में स्थित कयर बोर्ड के क्षेत्रीय विस्तारण केन्द्र क्षेत्रीय स्तर पर कयर उद्योग केलिए आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम और इन्क्युबेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन करेंगे ।

क्र.सं.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	नियमित या अल्पकालीन	अवधि	दी जानेवाली वृत्तिका अथवा नहीं
1.	उच्च प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	अल्पकालीन	1 महीने	जी नहीं
2.	कारीगर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	अल्पकालीन	1 महीने	जी नहीं
3.	स्वचालित कताई मशीन पर कताई	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
4.	कयर मशीनरियों का अनुश्रवण	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
5.	महिला कयर योजना के अधीन मोटरचालित राट/मोटरचालित परंपरागत राट पर कताई	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
6.	फ्रेम मैटों का निर्माण	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
7.	कयर दस्तकारी का निर्माण	अल्पकालीन	3 महीने	जी हाँ
8.	कयर दस्तकारी में प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
9.	कयर मशीनरियों के अनुश्रवण में प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	अल्पकालीन	2 महीने	जी हाँ
10.	अभिमुखीकरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	अल्पकालीन	15 दिन	जी नहीं

3. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य सरकारी प्राधिकरणों, कयर सहकारी समितियों, गैर-सरकारी कार्यालय, निजी मदद समूह आदि के ज़रिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा ।

क्र.सं.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	नियमित या अल्पकालीन	अवधि	दी जानेवाली वृत्तिका अथवा नहीं
1.	2 प्लाई×3 प्लाई कयर यार्न के उत्पादन केलिए मोटरचालित राट/मोटरचालित परंपरागत राट पर कताई	क्षेत्र स्तर	2 महीने	जी हाँ
2.	कयर भूवस्त्र, फ्रेम मैटों, मैटिंग, कार्पेट आदि के उत्पादन	क्षेत्र स्तर	2 महीने	जी हाँ
3.	कयर पिथ कंपोस्टिंग	क्षेत्र स्तर	1 महीने	जी हाँ
4.	कयर दस्तकारी	क्षेत्र स्तर	2 महीने	जी हाँ

अनुबंध – II

कुशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
प्रशिक्षण प्रायोजक अभिकरण द्वारा प्रतिज्ञा

मैं,..श्री....................................... का सुपुत्र.. में रहनेवाला (पूरा पता) मे.. (प्रायोजक अभिकरण का नाम) की ओर से दि........................... को नीचे दिए गए विवरण के साथ कयर बोर्ड के साथ प्रतिज्ञा करता हूँ ।

1.	प्रायोजक का नाम	:
2.	फोन/फैक्स/ई–मेल के साथ पता	:
3.	प्रशिक्षणार्थियों के समूह /एसएचजी/एनजीओ का प्रमुख समन्वयक	: नाम : पता :
4.	उम्मीदवारों की संख्या	:
5.	प्रशिक्षण का प्रकार	:
6.	प्रशिक्षण की अवधि	:
7.	प्रशिक्षण केलिए कच्चे माल का स्रोत	:
8.	क्या स्थानीय रूप से उपलब्ध है अथवा बाहर से खरीदना है	:
9.	बिजली कनेक्शन की विशद जानकारी	:
10.	प्रशिक्षण केलिए मशीनरी की उपलब्धता	:
11.	क्या प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रायोजक के एकक में नियोजन प्रदान किया जाएगा अथवा अन्य एकक में नियोजन की सुविधा देगा	:
12.	अगर निजी एकक खोल रहा है तो प्रस्तावित एकक का प्रकार	:
13.	एकक शुरू करने केलिए परिलक्षित ऋण समर्थन	:

14. क्या प्रशिक्षणार्थियों केलिए कोई आधारिक संरचना सुविधा है :

15. अगर ‘जी नहीं’ तो बुनियादी आधारिक संरचना प्राप्त करने का तरीका :

16. बाज़ार समर्थन की प्रकृति जो प्रदान की जा सकेगी :

अभिकरण कच्चे माल, क्रेडिट फ्लो और बाज़ार समर्थन लाभप्रद नौकरी अथवा निजी एकक प्रारंभ करने के साथ प्रशिक्षणार्थियों को महिला कयर योजना, जीर्णोद्धार, कयर उद्योग का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन, वित्तीय सहायता, पीएमईजीपी आदि जैसे योजनाओं को बैंकों के साथ जोडकर प्रदान करने के दायित्व के साथ वचन देता है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

साक्षी : 1) प्रादेशिक अधिकारी/विस्तार सेवा अधिकारी, कयर बोर्ड

2)

<u>अनुबंध – III</u>

ईडीपी आयोजन केलिए विचारार्थ विषय

आयोजन करनेवाले अभिकरण के कर्तव्य और जिम्मेदारियों निम्नानुसार हैं :

1. स्थानीय अखबार विज्ञापन/अन्य माध्यम के ज़रिए भागीदारों की पहचान करना है ।
2. ईडीपी आयोजनों केलिए जगह संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के साथ सलाह करके आयोजक प्राधिकरण द्वारा पहचान लिया जाएगा । कार्यक्रम केलिए स्थान की व्यवस्था आयोजक प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए ।
3. अधिकतम उम्मीदवारों की संख्या 50 है ।
4. चाय और जलपान, भोजन आदि का प्रबंध ईडीपी के दौरान भागीदारों को करना होगा ।
5. स्थानीय आतिथ्य, परिवहन आदि अन्य व्यय और संकायों का मानदेय आयोजक प्राधिकरण द्वारा भागीदारों को प्रदान किया जाना चाहिए ।
6. पाठ्यसामग्री आदि प्राधिकरण द्वारा भागीदारों को प्रदान किया जाना चाहिए ।
7. बाकी/अधिक व्यय प्राधिकरण/उम्मीदवार वहन करेगा और विस्तृत व्यय विवरण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उम्मीदवार/ईडीपी को आमंत्रित करने का स्थानीय विज्ञापन अखबारों के साथ कयर बोर्ड के वेबसाइट में भी दिया जाना चाहिए और प्राधिकरण कयर बोर्ड को विज्ञापन की प्रति भेजेगा ।

कयर आधारित उद्योग को छोडकर बाकी सभी विषय बाहरी संकायों द्वारा लिया जाना चाहिए । कयर के संदर्भ में कयर बोर्ड संकाय प्रदान करेगा और कयर व्यापार आधारित विशेषज्ञता से उन्हें लिया जा सकता है ।

केवीआईसी, एन एस आई सी, एम एस एम ई (डी सी) आदि की योजनाएँ और कार्यक्रम बोर्ड द्वारा आयोजित ईडीपी में सम्मिलित किया जाए । इसके लिए भी एक उचित सत्र सम्मिलित किया जाए और तदनुसार कार्यक्रम का सूत्रपात किया जाए ।

अनावरण पर्यटन केलिए बस/रेलगाडी की दूसरी श्रेणी के किराए का 50% यात्रा व्यय पर प्रदान किया जाएगा और बाकी अभिकरण को भागीदारों से अथवा अन्य स्रोतों से एकत्र करना होगा ।

विजय अनुपात निम्नप्रकार अभिकरण द्वारा निर्मित किया जाए ।

भागीदारों के आवेदन	:	150
ईडीपी केलिए आवेदनों का चयन	:	100÷
ईडीपी में उपस्थिति	:	चयन किए गए उम्मीदवारों का 90%
अनावरण पर्यटन	:	60%
सफल उद्यमकर्ता	:	25%

ईडीपी लागत का 10% भुगतान रिपोर्ट पूरा करने पर किया जाएगा और उम्मीदवार विधिवत् भरी प्रतिक्रिया–शीट पहुँचने पर और भविष्य के उद्यमकर्ता को पहचान लिया जाएगा ।

‘‘कुशल उन्नयन और गुणता सुधार योजना’’ केलिए कार्यकारी अनुदेश

1. ‘‘कौशल उन्नयन और गुणता सुधार’’ योजना में तीन प्रमुख घटक है अर्थात् **(क) कुशल उन्नयन (ख) गुणता सुधार और (ग) महिला कयर योजना** ।

2. 11वीं योजना अवधि के बाकी वर्षों के दौरान कार्यान्वित की जाने की योजनाएँ ।

3. आवश्यकता पडने पर कयर उद्योग के विकास में लगी सीसीआरआई/सीआईसीटी और अन्य संस्थाओं द्वारा तकनीकी हस्तक्षेप किया जाएगा ।

4. प्रत्येक मद केलिए अलग रखी गई निधि का उपयोग उसी केलिए किया जाएगा और अन्य कार्यक्रम की निधि का विचलन/विपथन नहीं किया जाएगा ।

5. कुशल उन्नयन और गुणता सुधार योजना के अंतर्गत 11वीं योजना अवधि में बाकी वर्षों के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों केलिए अनुमोदन प्राप्त है ।

   (क) प्रशिक्षण (ख) ईडीपी (ग) क्यूआईपी (घ) जागरण कार्यक्रम (ङ) अनावरण पर्यटन (च) राष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला (छ) महिला कयर योजना

6. प्रशिक्षणार्थी को 750 रु. प्रति मास की छात्रवृत्ति प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय का द्वारा नकद प्रदान किया जाएगा और प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय द्वारा प्रायोजक प्राधिकरण को मानदेय की प्रतिपूर्ति चेक सं., तिथि आदि दर्शानेवाला प्राप्तिकर्ता का कार्यालयीन रसीद प्रस्तुत करने पर चेक द्वारा की जाएगी ।

7. प्रशिक्षण की प्रचालन लागत की प्रतिपूर्ति प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा बिल, वाउचर, व्यय का विवरण और प्रायोजक प्राधिकारी से प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर, जिसमें कच्चे माल, विद्युत प्रभार आदि सम्मिलित हैं, की जाएगी, जिसका प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय द्वारा किया जाएगा । प्रशिक्षण के दौरान विनिर्मित धागा/उत्पाद की कुल गुणता और उसके निपटान के विवरण प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय के प्रमाणन में सूचित किया जाए ।

8. मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन केलिए प्रायोजक प्राधिकरण और प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय के बीच एक समझौता करना होगा ।

9. प्रायोजित करनेवाला प्राधिकरण उम्मीदवारों के नाम पूरा पता और हाल ही के पारपत्र आकार के फोटो (2 प्रतियाँ) और चुनाव आई डी कार्ड/रेशन कार्ड/प्राधिकृत सरकारी प्राधिकरण से पहचान प्रमाणपत्र/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा । **सभी मामलों में अनिवार्यत: चुनाव आई डी कार्ड पर बल देना होगा और आई डी के अन्य प्रमाण विशेष मामलों पर ही स्वीकार किया जाएगा ।**

10. एक फोटो प्रशिक्षण की समाप्ति पर जारी प्रमाणपत्र पर लगाया जाएगा और दूसरा रिकार्ड के मुख्यालय को भेजा जाएगा ।

11. प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय उपस्थिति रजिस्टरों का सत्यापन करेगा और उपस्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति का आकलन किया जाएगा । इसका प्रमाणन प्रशिक्षण द्वारा और प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा किया जाना है ।

12. प्रायोजक प्राधिकरण और प्रशिक्षण द्वारा विधिवत् प्रमाणित और प्रादेशिक कार्यालय और उप प्रादेशिक कार्यालय द्वारा प्रतिप्रमाणित छात्रवृत्ति परिचय भी अन्य दस्तावेज़ों के साथ छात्रवृत्ति खाते के भुगतान केलिए संलग्न किया जाए ।

13. संगोष्ठी/कार्यशाला/ईडीपी, क्यूआईपी, गुणता जागरण कार्यक्रम आदि के मामले में व्यय को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए मंजूर सीमा के भीतर होना चाहिए । प्रत्येक कार्यक्रम की समाप्ति पर आयोजित कार्यक्रम की रिपोर्ट फोटो, भागीदारों की सूची, समर्थक बिल/प्राप्तिकर्ता की रसीद आदि सहित, जो संघटकों/संबंधित प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय द्वारा प्रमाणित करके व्यय का विवरण पेशगी के निपटान केलिए मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए ।

14. योजना के अंतर्गत सहायिकी का उपयोग करके खरीदे मोटरचालित राट/मोटरचालित परंपरागत राट बोर्ड द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार हों ।

15. प्रत्येक परिवार में केवल एक एमआर/एमटीआर प्रदान किया जाएगा ।

16. एमटीआर/एमआर ऐसे लोगों को ही दिया जाएगा, जिन्होंने दो महीने का कताई प्रशिक्षण केलिए जाकर उसे सफलतापूर्वक पूरा किया है ।

17. मोटरचालित राट/मोटरचालित परंपरागत राट की अवस्थिति में एक फेसवाला विद्युत पूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए ।

18. योजना के अंतर्गत चयन किए गए हितैषी को ऐसी वित्तीय अभिकरण/अन्य संस्थान को छोडकर जहाँ से उसने राट की खरीद ऋण/अनुदान लिया है, किसी अन्य जगह पर बंधक नहीं रखना चाहिए ।

19. योजना के अंतर्गत सहायिकी लेनेवाले हितैषी को कयर बोर्ड, कोच्ची के साथ एक बंधपत्र निष्पादित करना होगा :

(क) मोटरचालित/मोटरचालित परंपरागत राट को संपूर्ण सुरक्षा अभिरक्षा में रखने केलिए
(ख) कयर बोर्ड के अधिकारी/राज्य सरकार/वित्तीय प्राधिकरण केलिए राट को उपलब्ध कराना
(ग) कम से कम 5 वर्ष की अवधि केलिए राट को चालू करना
(घ) कयर बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा राट के प्रचालन के संबंध में जारी अनुदेशों का पालन करना

20. विनिर्देशन राट की लागत, वित्त का स्रोत और प्राधिकृत अधिकारी को मंजूर रकम आदि संबंधी संगत दस्तावेज़ हितैषी को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि योजना के अंतर्गत सहायिकी की मात्रा को निश्चित करना है ।

21. कयर बोर्ड से सहायता एक बार की सहायिकी के रूप में होगी, जो राट की लागत का 75% जो 7500 रु. की अधिकतम रकम के अध्यधीन मोटरचालित राट केलिए और 3,200 रु. की अधिकतम रकम के अध्यधीन मोटरचालित परंपरागत राट केलिए होगी । बाकी 25% हितैषी द्वारा निजी स्रोतों/वित्तीय संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उठाना चाहिए ।

22. प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय द्वारा महिला कयर योजना कारोबार केलिए अलग खाता खोलनी चाहिए ।

23. मशीनरी विनिर्माता को मशीनरी विनिर्माता के रूप में वैध पंजीकरण कयर बोर्ड के साथ होना चाहिए ।

24. हितैषी के चयन के अनुसार पंजीकृत मशीनरी विनिर्माता से राट की पूर्ति केलिए व्यक्तिगत बीजक के साथ हितैषी से 25% हितैषी योगदान एकत्र किया जाएगा और हितैषी योगदान एम सी वाई खाते में डाला जाएगा ।

25. प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय को अपनी संस्तुति के साथ व्यक्तिगत बीजक मुख्यालय को हितैषी योगदान की प्राप्ति के विवरण सहित भेजना है ताकि राट केलिए अनुमत 75% सहायिकी की अदायगी की जा सके ।

26. प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय राट का निरीक्षण करेगा और निरीक्षित राट का निष्पादन गैरंटी प्राप्त करने के बाद हितैषी से प्राप्त पावती के साथ मशीनरी विनिर्माता हितैषी की अवस्थिति में राट की पूर्ति करनी होगी ।

27. विनिर्माता का बिल, प्राप्तिकर्ता का रसीद, हितैषी को राट की पूर्ति के प्रमाण के दस्तावेज़ों के साथ निष्पादन गैरंटी प्राप्त होने पर प्रादेशिक कार्यालय/उप प्रादेशिक कार्यालय हितैषी को पूर्ति किए गए राट की लागत पूर्तिकार को प्रदान करें ।

28. प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद दो महीनों के भीतर हितैषी को राट की पूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए ।

राट के वितरण को कारगर बनाने केलिए निम्नलिखित प्रचालन प्रणाली का खरीद और वितरण केलिए सख्त अनुपालन करना चाहिए ।

- हितैषियों से क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी को 25% हितैषी योगदान स्वीकार करना होगा जिन्होंने बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है ।
- केवल महिला कयर योजना के कार्यकलाप केलिए क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी एक खाता खोलेगा और हितैषी योगदान उस खाते में जमा किया जाएगा ।
- क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी हितैषी से राट की पूर्ति केलिए बीजक प्राप्त करेगा ।
- कयर बोर्ड के साथ पंजीकृत राट विनिर्माता के विकल्प की स्वतंत्रता हितैषी को है और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी को बीजक प्रस्तुत करना होगा ।
- बाकी 75% सहायिकी बोर्ड से मिलने केलिए क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी बीजक मुख्यालय को अग्रेषित करेगा ताकि सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त कर सके ।
- क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी राट की पूर्ति केलिए संबंधित मशीनरी विनिर्माता के साथ आदेश दे सकता है जिसकी सूचना हितैषी को दी जाए ।
- बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होने केलिए प्रायोजक अभिकरण के परिसर पर तकनीकी निरीक्षण के बाद मशीनरी विनिर्माता हितैषी को राट की पूर्ति करेगा ।
- क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी से तकनीकी लोग राटों का नियमित निरीक्षण करेगा और चयनित सुपर निरीक्षण सीसीआरआई/सीआईसीटी के तकनीकी स्टाफ द्वारा लिया जाएगा ।
- पक्का आदेश प्राप्त करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर विनिर्माता को राट की पूर्ति करनी होगी ।
- मशीनरी विनिर्माता द्वारा राट की पूर्ति में कोई विलंब हो जाता है तो आदेश रद्द किया जाएगा और विनिर्माता को काली सूची में दर्ज किया जाएगा और कयर बोर्ड द्वारा पंजीकरण की अनुमति देते समय मशीनरी विनिर्माता द्वारा निष्पादित शर्तों एवं निबंधनों में विनिर्दिष्ट अन्य कानून दंडों का भी पालन किया जाएगा ।

- संयुक्त निदेशक (अ.), सीसीआरआई और क्षेत्रीय अधिकारी में से कोई और बोर्ड के लेखा खंड से किसी अधिकारी को सम्मिलित करते हुए एक समिति हर वर्ष राटों की लागत की समीक्षा करेगा ताकि एम सी वाई के अंतर्गत पूर्ति की गई राट की लागत को अंतिम रूप दे सके ।

कुशल उन्नयन और गुणता सुधार के अंतर्गत कार्यक्रमों का विभाजन

1. कार्यशाला

कार्यशाला के आयोजन केलिए परिलक्षित रकम का नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

1.	कार्यशाला के आयोजन पर माध्यम द्वारा प्रचार	:	2,500 रु.
2.	आमंत्रणों का प्रकाशन और समारोह का आयोजन	:	5,000 रु.
3.	लेखन सामग्री, कार्यशाला सामग्री का मुद्रण, तकनीकी निबंध आदि	:	6,000 रु.
4.	जगह, फोटोग्राफ समेत ओडियो तथा वीडिया व्यवस्था का किराया	:	10,000 रु.
5.	नए विकसित कयर उत्पादन और आधुनिक प्रौद्योगिकी आदि का प्रदर्शन	:	10,000 रु.
6.	संकाय के भाषणदाताओं को मानदेय	:	8,000 रु.
7.	50 व्यक्तियों केलिए चाय और नाश्ता	:	5,000 रु.
8.	कार्यशाला का प्रलेखीकरण	:	3,500 रु.
	कुल	:	50,000 रु.

2. संगोष्ठी

संगोष्ठी के आयोजन केलिए परिलक्षित व्यय 2 लाख रु. है । नीचे व्यय का अलग विवरण दिया गया है ।

क्र.सं.	घटक	संभावित वित्त की सीमा (रु.)
1.	आमंत्रण पत्र, बैनर, फोटोग्राफ, स्टेशनरी आदि का मुद्रण	12,000.00
2.	हॉल, मेज़, कुर्सी, पी ए प्रणाली आदि का किराया	25,000.00
3.	स्थानीय आतिथ्य और संकाय भाषणदाताओं को मानदेय	25,000.00
4.	200 व्यक्तियों केलिए चाय के नाश्ता और भोजन	35,000.00
5.	तकनीकी निबंधों की प्रतियाँ/कयर बोर्ड/केवीआईसी/एमएसएमई द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ समेत सेमिनार किट	25,000.00

6.	प्रमुख अखबारों में प्रेस विज्ञप्तियाँ	10,000.00
7.	प्रचार व प्रेस बैठक	15,000.00
8.	प्रौद्योगिकी अंतरण (तकनीकी–विपणन) केलिए प्रदर्शन	40,000.00
9.	सेमिनार आयोजन केलिए व्यवसायिक प्रभार	10,000.00
10.	स्थानीय परिवहन	3,000.00
	कुल	**2,00,000.00**

3. ईडीपी

प्रत्येक ईडीपी का आयोजन करने केलिए व्यय 60,000 रु. तक सीमित है जिसका विशद विवरण नीचे दिया जाता है :

क्र.सं.	घटक	रकम (रु.)
1.	स्थानीय दैनिकीयों के ज़रिए ईडीपी केलिए भागीदारों को आमंत्रित करने केलिए प्रेस विज्ञापन	8,000.00
2.	हरेक को 100 रु. की दर पर भोजन, जल–पान (50 व्यक्तियों केलिए – 3 दिन)	15,000.00
3.	3 दिनों केलिए हॉल का किराया	6,000.00
4.	संदर्भ सामग्री की तैयारी, प्रकाशन प्रभार, स्टेशनरी आदि	10,000.00
5.	संकाय केलिए व्यय	8,000.00
6.	क्षेत्र संदर्शन केलिए व्यय	10,000.00
7.	विविध	3,000.00
	कुल	**60,000.00**

4. गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी)

1.	कयर कामगारों को प्रदान करने केलिए पाठ्य सामग्री की तैयारी केलिए व्यय (30×60)	:	1,800.00 रु.
2.	3 दिनों के लिए जल–पान (15×60×3)	:	2,700.00 रु.
3.	समापन समारोह में भोजन(50×60)	:	3,000.00 रु.
4.	कारीगरों केलिए मज़दूरी की हानि (50×60×3)	:	9,000.00 रु.
5.	प्रलेखीकरण	:	500.00 रु.
6.	हॉल और व्यावहारिक सत्र केलिए व्यय और विविध व्यय पर खर्च आदि	:	3,000.00 रु.
	कुल	:	50,000 रु.

5. अध्ययन दौरा

1. अध्ययन दौरे केलिए व्यय प्रति पर्यटन 75,000 रु. तक सीमित किया गया है ।
2. उपर्युक्त रकम में आने और जाने केलिए बस भाडा/रेलगाडी का भाडा, सेवा कर, पडोसी राज्यों को प्रवेश करने की अनुमति, टॉल आदि सम्मिलित हैं ।
3. अध्ययन दौरे का आयोजन करने केलिए अपेक्षित उद्यमकर्ताओं की न्यूनतम संख्या 20 होगी । कामगारों के मामले में, यह 40 होगी ।
4. उद्यमकर्ताओं के मामले में दूसरी श्रेणी के रेल भाडे के अध्यधीन 50% वास्तविक यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी और सहकारी समिति/एसएचजी/गैर सरकारी कार्यालयों के अंतर्गत कयर प्रसंस्करण कार्यकलाप में लगे और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कारीगरों के मामले में दूसरी श्रेणी के रेल भाडे के अध्यधीन वास्तविक यात्रा व्यय का 90% कयर बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी । राज्य सरकार के प्राधिकरणों/कयर उद्योग सहकारी समितियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उचित संस्तुति के साथ अध्ययन दौरे का आयोजन करना होगा ।

   अध्ययन दौरे के प्रायोजक अभिकरण व्यय के बारे में दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जिसमें बिल की मूल प्रति, औद्योगिक सहकारी (एनजीओ) समर्थक दस्तावेज़ और टिकट लगाए प्राप्तिकर्ता के रसीद सहित प्रमाण सरकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित बिलों की प्रतियाँ उपलब्ध हों ।
5. पात्रता प्राप्त अदायगी केलिए बिल क्षेत्रीय अधिकारी/उप प्रादेशिक अधिकारी द्वारा संस्तुति केलिए प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए और पार्टी को भुगतान डिमांड ड्राफ्ट (चेक द्वारा ही किया जाएगा) ।

6. अवबोध कार्यक्रम

आम जनता/ कयर कामगारों केलिए एक जागरण कार्यक्रम का आयोजन कयर बोर्ड के योजना कार्यक्रमों के बारे में अवबोध पैदा करने केलिए किया जाएगा । इसका व्यय 26,000 रु. तक सीमित किया गया है ।

1.	स्थानीय दैनिकियों में विज्ञापन	:	4,500.00 रु.
2.	पाठ्यसामग्री का प्रकाशन, लिखने का पैड, कलम आदि	:	3,500.00 रु.
3.	चाय, नाश्ता, भोजन (50×150)	:	7,500.00 रु.
4.	अतिथि भाषणदाताओं को मानदेय, स्थानीय यात्रा आदि	:	5,000.00 रु.
5.	प्रलेखीकरण	:	1,000.00 रु.
6.	हाल, कुर्सी और पी ए प्रणाली का व्यय	:	4,500.00 रु.
	कुल	:	26,000.00 रु.